Kumbhalgarh Sanctuary
B

राजस्थान सरकार
राजस्व (क) विभाग

संख्या एफ 10(2)रिव/ए/xxx जयपुर, दिनांक 13 जुलाई 1971

-: अधिसूचना :-

दी राजस्थान वाईल्ड लाईफ एनीमल्स एण्ड बर्ड्स प्रोटेक्शन एक्ट 1951 राजस्थान एक्ट नं0 13 आफ 1951 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार कुम्भलगढ़ के किले और रणकपुर मन्दिर के पास पास की अरावली पहाड़ियों को जिसकी सीमाऐं इससे संलग्न अनुसूचि में दी गई है उक्त एक्ट के प्रयोजनार्थ "आरक्षित क्षेत्र" के रूप में एतद्‌द्वारा घोषित करती हैं। और उक्त क्षेत्र में सर्व वर्ष में किसी भी समय किसी भी प्रकार के वन्य पशुओं या वन्य पक्षियों का शिकार करना गोली से मारना जाल में फंसाना फन्दे में डालना या फंसाना, पकड़ना या मारना विधि विरुद्ध होगा।

अनुसूचि

सीमाऐं :-

उत्तर - दिवेयर कोट रोड़
पूर्व - भीम और कुम्भलगढ़ वन क्षेत्रों में आरक्षित वनों की पूर्वी सीमा रेखाऐं।
दक्षिण - कुम्भलगढ़ और सादड़ी वन क्षेत्रों क्रमश: पदरा और बोजापुर वन मण्डों की दक्षिणी सीमा रेखाऐं।
पश्चिम - सादड़ी और देसूरी क्षेत्रों में आरक्षित वनों की पश्चिमी सीमा रेखाऐं।

राज्यपाल के आदेश से
ह0
(के0एल0बराया)
शासन सचिव,

प्रतिलिपि:-

1- मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र संख्या एफ 24(10)68/मिस/सी.सी.एफ./3494 दिनांक 11 जनवरी 1971 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित हैं।
2- अधीक्षक राज्य मुद्रणालय जयपुर को राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
3- संचालक, जन सम्पर्क राजस्थान, जयपुर को उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

ह0
सहायक शासन सचिव